UPJL010017382022

न्यायालय सत्र न्यायाधीश, जालौन स्थान उरई।

उपस्थितः विरजेन्द्र कुमार सिंह, (एच0जे0एस0)

1. सत्र परीक्षण संख्या–57/2022

राज्य उत्तर प्रदेश.....अभियोजक

बनाम

1–रमेश चन्द्र पुत्र कढ़ोरेलाल।
2–श्रीमती यशोदा देवी पत्नी रमेश चन्द्र।
3–श्रीमती दीपिका पत्नी निर्मल।
4–श्रीमती पूनम पत्नी अरूण।
5–अर्पण उर्फ शीतल पुत्र रमेशचन्द्र।
समस्त निवासीगण ग्राम राजीपुरा (बसीठ) थाना नदीगॉव, जिला जालौन।

मुकदमा अपराध संख्या 88/2021
धारा 498ए, 304बी, भा0द0सं0 व
धारा 4, दहेज प्रतिषेध अधिनियम एवं
वैकल्पिक धारा 302/149 भा0द0सं0
थानाः नदीगॉव, जिला जालौन।

एवं

UPJL010032182022

2. सत्र परीक्षण संख्या–110/2022

राज्य उत्तर प्रदेश.....अभियोजक

बनाम

1.निर्मल उर्फ अनमोल पुत्र रमेशचन्द्र।
2–अरूण उर्फ कमल पुत्र रमेशचन्द्र।
समस्त निवासीगण ग्राम राजीपुरा (बसीठ) थाना नदीगॉव, जिला जालौन।

मुकदमा अपराध संख्या 88/2021
धारा 498ए, 304बी, भा0द0सं0 व
धारा 4, दहेज प्रतिषेध अधिनियम एवं
वैकल्पिक धारा 302/149 भा0द0सं0
थानाः नदीगॉव, जिला जालौन।

निर्णय

1. सत्र परीक्षण संख्या 57/2022 में अभियुक्तगण रमेश चन्द्र दीक्षित पुत्र कढोरेलाल, श्रीमती यशोदा देवी पत्नी रमेश चन्द्र, श्रीमती दीपिका पत्नी निर्मल, श्रीमती

Digitally signed by VIRJENDRA KUMAR SINGH
Date: 2026.03.31 19:33:36 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

पूनम पत्नी अरूण, अर्पण उर्फ शीतल पुत्र रमेशचन्द्र समस्त निवासीगण ग्राम राजीपुरा (बसीठ) थाना नदीगॉव, जिला जालौन के विरुद्ध पुलिस थाना नदीगॉव, जिला जालौन के द्वारा मुकदमा अपराध संख्या 88/2021, अन्तर्गत धारा 498ए, 304बी, भा0द0सं0 व धारा 3/4, दहेज प्रतिषेध अधिनियम के अन्तर्गत आरोप पत्र प्रस्तुत करने पर, अवर न्यायालय द्वारा बाद संज्ञान व बाद सत्र सुपुर्दगी आदेश दिनांक 23.03.2022 का विचारण प्रस्तुत न्यायालय द्वारा किया गया।

2. सत्र परीक्षण संख्या 110/2022 में अभियुक्तगण निर्मल उर्फ अनमोल पुत्र रमेशचन्द्र व अरूण उर्फ कमल पुत्र रमेशचन्द्र समस्त निवासीगण ग्राम राजीपुरा (बसीठ) थाना नदीगॉव, जिला जालौन के विरुद्ध पुलिस थाना नदीगॉव, जिला जालौन के द्वारा मुकदमा अपराध संख्या 88/2021, अन्तर्गत धारा 498ए, 304बी, भा0द0सं0 व धारा 3/4, दहेज प्रतिषेध अधिनियम के अन्तर्गत आरोप पत्र प्रस्तुत करने पर, अवर न्यायालय द्वारा बाद संज्ञान व बाद सत्र सुपुर्दगी आदेश दिनांक 09.06.2022 का विचारण प्रस्तुत न्यायालय द्वारा किया गया।

3. उपरोक्त दोनों सत्र परीक्षण एक ही घटना से संबंधित होने के कारण पूर्व पीठासीन अधिकारी द्वारा पारित आदेश दिनांकित 12.01.2023 के द्वारा उक्त दोनों सत्र परीक्षण की पत्रावली का विचारण एक साथ किये जाने का आदेश पारित किया गया और सत्र परीक्षण संख्या 57/2022 सरकार प्रति रमेशचन्द्र आदि की पत्रावली को अग्रणी (लीडिंग) पत्रावली माना गया। अतः उपरोक्त दोनों सत्र परीक्षण की पत्रावली का निर्णय सुविधा की दृष्टि से एक साथ किया जा रहा है।

4– अभियोजन कथन संक्षेप में जरिये तहरीरी रिपोर्ट प्रार्थी/वादी मुकदमा पवन कुमार पुत्र भान सिंह यह है कि–

''प्रार्थी ने अपनी पुत्री श्रीमती अंजली का विवाह अर्पण पुत्र रमेशचन्द्र कुशवाहा निवासी ग्राम राजीपुरा (बसीठ) थाना नदीगॉव, जिला जालौन के साथ दिनांक 22.04.2021 को सम्पन्न किया था। शादी के समय प्रार्थी ने अपनी हैसियत से ज्यादा करीब दस लाख रूपये खर्च किये थे, किन्तु श्रीमती अंजली के ससुराल वाले इतने से संतुष्ट नहीं रहे और दूसरी विदा में जब श्रीमती अंजली ससुराल गई तो ससुर रमेशचन्द्र पुत्र कढोरेलाल व सास श्रीमती यशोदा देवी पत्नी रमेशचन्द्र तथा पति अर्पण, जेठ निर्मल व अरूण पुत्रगण रमेशचन्द्र तथा जिठानी श्रीमती पूनम पत्नी अरूण, श्रीमती दीपिका पत्नी निर्मल निवासीगण ग्राम राजीपुरा (बसीठ) थाना नदीगॉव, जिला जालौन ने श्रीमती अंजली को प्रताड़ित करना शुरू कर दिया और घर गृहस्थी की छोटी–छोटी बातों पर ससुराल वाले अंजली को एकराय होकर मारपीट करने लगे। अंजली से घर गृहस्थी का सारा काम करवाने लगे और उसे भूख लगने पर समय से खाना नहीं देते

थे, जिससे वह बीमार रहने लगी थी, फिर ससुराल वाले उसका इलाज नहीं कराते थे और ससुराल वाले अतिरिक्त दहेज के रूप में चार पहिया वाहन की मांग करते थे, जिसकी सूचना श्रीमती अंजली ने अपने मोबाइल से प्रार्थी तथा प्रार्थी के परिजनों को दी थी, तब प्रार्थी उसकी ससुराल गया और श्रीमती अंजली को अपने साथ अपने घर पिण्डारी, थाना एट लिवा ले गया था। दिनांक 17.12.2021 को समाज तथा विरादरी के संभ्रान्त लोगों के बीच में पड़ जाने से प्रार्थी ने श्रीमती अंजली को उसके पति अर्पण के साथ उसकी ससुराल राजीपुरा (बसीठ) भेज दिया था। दिनांक 19.12.2021 को समय करीब 12:00 बजे दिन राजीपुरा (बसीठ) के लोगों द्वारा दूरभाष से सूचना मिली कि श्रीमती अंजली के ससुराल वालों ने उसकी हत्या कर दी है। रिपोर्ट को आया हूँ, प्रार्थी की रिपोर्ट लिखकर अंजली के दोषी ससुराल वालों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही करें।''

5. इस आशय की तहरीरी रिपोर्ट वादी पवन कुमार के द्वारा थाना नदीगॉव पर दाखिल करने पर अभियुक्तगण रमेशचन्द्र, श्रीमती यशोदादेवी, अर्पण, निर्मल, अरूण, श्रीमती पूनम, श्रीमती दीपिका, श्रीमती आदेश व डॉ0 पंकज के विरूद्ध मुकदमा अपराध संख्या 88/2021, अन्तर्गत धारा 498ए, 304बी, भा0द0सं0 1860 व धारा 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 में दर्ज करा गया तथा मामले की विवेचना प्रारम्भ करी गई और विवेचक द्वारा मामले की विधिवत विवेचना करी गयी तथा दौरान विवेचना बयान वादी, निरीक्षण घटना स्थल, अवलोकन पंचायतनामा, अवलोकन पोस्टमार्टम रिपोर्ट व अन्य साक्षीगण का बयान अंकित किये जाने के पश्चात संकलित साक्ष्य से अभियुक्तगण पंकज मित्तल व श्रीमती आदेश की अपराध की घटना में सहभागिता न पाते हुए अभियुक्तगण रमेशचन्द्र, श्रीमती यशोदा देवी, श्रीमती दीपिका, श्रीमती पूनम व अर्पण उर्फ शीतल के विरूद्ध आरोप पत्र संख्या 01 दिनांक 09.03.2022 को धारा 498ए, 304बी, भा0द0सं0 1860 व धारा 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 के अन्तर्गत एवं अभियुक्तगण निर्मल उर्फ अनमोल व अरूण उर्फ कमल के विरूद्ध आरोप पत्र संख्या 02 दिनांक 16.03.2022 को धारा 498ए, 304बी, भा0द0सं0 1860 व धारा 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 के अन्तर्गत प्रेषित करे गये।

6. सत्र परीक्षण संख्या 57/2022, सरकार बनाम रमेशचन्द्र आदि में सत्र न्यायाधीश, जालौन स्थान उरई के द्वारा दिनॉक 25.04.2022 को अभियुक्तगण रमेशचन्द्र, श्रीमती यशोदा देवी, श्रीमती दीपिका, श्रीमती पूनम एवं अर्पण उर्फ शीतल के विरूद्ध धारा 498ए, 304बी, भा0द0सं0 व धारा 4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम एवं वैकल्पिक धारा 302/34 भा0द0सं0 विरचित किया गया, जिसे निर्णय के दौरान धारा 302/34 भा0दं0सं0 के स्थान पर धारा 302/149 भा0दं0सं0 संशोधित किया गया एवं सत्र परीक्षण संख्या 110/2022 सरकार प्रति निर्मल उर्फ अनमोन आदि में अपर सत्र

न्यायाधीश कोर्ट संख्या 1, जालौन स्थान उरई के द्वारा दिनॉक 10.11.2022 को अभियुक्तगण निर्मल उर्फ अनमोल व अरूण उर्फ कमल के विरूद्ध धारा 498ए, 304बी, भा0द0सं0 व धारा 4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम एवं वैकल्पिक धारा 302/149 भा0द0सं0 के अन्तर्गत आरोप विरचित करा गया, जिससे अभियुक्तगण द्वारा इनकार करा गया तथा परीक्षण की मांग करी गयी।

7. अभियोजन की ओर से अपने केस को सिद्ध करने के लिये मौखिक साक्ष्य के रूप में कुल 8 साक्षीगण परीक्षित कराये गये, जो निम्न प्रकार हैं–

क्रमांक	साक्षी का नाम	साक्षी की संख्या	साक्षी की स्थिति	साक्षी का प्रकार
1	पवन कुमार	पी0डब्लू0–1	वादी मुकदमा	तथ्य का साक्षी
2	संगीता देवी	पी0डब्लू0–2	साक्षी	तथ्य की साक्षी
3	सुहाग सिंह	पी0डब्लू0–3	साक्षी	तथ्य का साक्षी
4	रामकुमार	पी0डब्लू0–4	साक्षी	तथ्य का साक्षी
5	राजेन्द्र सिंह	पी0डब्लू0–5	चिक लेखक व जी0डी0 लेखक	औपचारिक साक्षी
6	विदित कुमार	पी0डब्लू0–6	पंचायतनामा साक्षी	औपचारिक साक्षी
7	डा0 भानुप्रताप सिंह	पी0डब्लू0–7	चिकित्सक साक्षी	औपचारिक साक्षी
8	शाहिदा नसरीन	पी0डब्लू0–8	विवेचक साक्षी	औपचारिक साक्षी

8. अभियोजन पक्ष की ओर से अभिलेखीय साक्ष्य के रुप में निम्न प्रपत्र प्रस्तुत किये गये हैः–

क्रमांक	अभियोजन प्रपत्रों का विवरण	प्रदर्श	साबित करने वाला साक्षी
1	तहरीरी रिपोर्ट	प्रदर्श क–1	पी0डब्लू0–1
2	चिक एफ0आई0आर0 जी0डी0 कायमी	प्रदर्श क–2 प्रदर्श क–3	पी0डब्लू0–5
3	पंचायतनामा चिट्ठी आर0आई0 चिट्ठी सी0एम0ओ0 फोटोनाश चालाननाश फर्द बरामदगी मोबाइल फोन व साड़ी के टुकड़े आदि	प्रदर्श क–4 प्रदर्श क–5 प्रदर्श क–6 प्रदर्श क–7 प्रदर्श क–8 प्रदर्श क–9	पी0डब्लू0–6
4	पोस्टमार्टम रिपोर्ट	प्रदर्श क–10	पी0डब्लू0–7
5	नक्शा नजरी घटना स्थल आरोप पत्र अभियुक्त रमेशचन्द्र	प्रदर्श क–11 प्रदर्श क–12	पी0डब्लू0–8

	आदि एवं आरोप पत्र अभियुक्तगण निर्मल उर्फ अनमोल आदि	प्रदर्श क–13	

9. अभियोजन की ओर से मौखिक साक्ष्य में कुल 08 साक्षी पेश कराये गये है, जिनमें पी0डब्लू0–1 पवन कुमार, पी0डब्लू0–2 संगीता देवी, पी0डब्लू0–3 सुहाग सिंह, पी0डब्लू04 रामकुमार तथ्य के साक्षी हैं तथा पी0डब्लू0–5 हेड कां0 राजेन्द्र सिंह, पी0डब्लू06 विदित कुमार, पी0डब्लू0–7 डॉ0 भानु प्रताप सिंह एवं पी0डब्लू08 शाहिदा नसरीन क्षेत्राधिकारी/विवेचक, औपचारिक साक्षी हैं।

10. अभियोजन की ओर से पी0डब्लू01 पवन कुमार को परीक्षित कराया गया है, जिसने अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ बयान दिया है कि मृतका अंजली मेरी पुत्री थी, जिसकी शादी 22 अप्रैल सन 2021 को हाजिर अदालत अभियुक्त अर्पण के साथ की थी। शादी में मैने अपनी हैसियत अनुसार दस लाख रूपये खर्च किये थे। शादी के बाद मेरी पुत्री ने मुझे कभी नहीं बताया कि उसके ससुराल वाले चार पहिया की गाड़ी की मांग करते है एवं इसके लिए उसकी मारपीट करते है। दिनांक 19.12.2021 को दिन में 12 बजे पता चला कि अंजली ससुराल में मर गयी है। इस सूचना पर मैं परिजन व रिश्तेदारों के साथ अंजली की ससुराल गया था तो वहां मुझे मेरी पुत्री मृत अवस्था में मिली थी। घटना के सम्बन्ध में मैनें एक प्रार्थना पत्र थाना नदीगांव में दिया था। रिपोर्ट लिखने के बाद पुलिस मौके पर ग्राम बसीठ आयी थी। नायब तहसीलदार भी आये थे। साक्षी ने कागज सं0 5क तहरीर पर बने अपने हस्ताक्षर की पुष्टि की है, जिस पर प्रदर्श क–1 डाला गया। यह भी कथन किया है कि तहसीलदार (नायब) ने मेरी मृतका पुत्री का पंचायतनामा मेरे सामने भरा था एवं उस पर मेरे भी हस्ताक्षर बनवाये थे एवं लाश को सील मोहर कर पोस्टमार्टम के लिए भेजा था। साक्षी ने पत्रावली में संलग्न कागज सं0 12क/1 लगायत 12क/2 पंचायतनामा पर अपने हस्ताक्षर की पुष्टि की। साक्षी ने यह भी कथन किया है कि पुलिस व तहसीलदार ने घटना स्थल से एक अद्द मोबाइल मृतका अंजली का व साड़ी के दो टुकड़े कब्जे में लेकर फर्द बनायी थी एवं उसपर मेरे भी हस्ताक्षर बनवाये गये थे जो पत्रावली में कागज सं0 5क/2 है। साक्षी ने हाजिर अदालत अभियुक्तगण को देखकर कहा कि इन लोगों ने मेरी पुत्री को फांसी लगाकर नहीं मारा है।

अभियोजन की ओर से पी0डब्लू02 संगीता देवी को परीक्षित कराया गया है, जिसने अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ बयान दिया है कि मृतका अंजली मेरी पुत्री थी। अंजली का विवाह हाजिर अदालत अभियुक्त अर्पण के साथ आज से लगभग डेढ़ वर्ष पूर्व हुआ था। दिये गये दान–दहेज से पुत्री के ससुरालीजन पूर्णतः संतुष्ट थे। मेरी पुत्री ने मुझे कभी नहीं बताया कि उसके ससुरालीजन उससे चार पहिया की गाड़ी

की मांग करके उसे परेशान करते है एवं मारपीट करते है। हाजिर अदालत अभियुक्तगण को देखकर साक्षी ने कहा कि इन लोगों ने व शीतल ने मेरी पुत्री को फांसी लगाकर नहीं मारा।

अभियोजन की ओर से पी0डब्लू03 सुहाग सिंह को परीक्षित कराया गया है, जिसने अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ बयान दिया है कि मृतका अंजली मेरी भांजी थी, जिसकी ससुराल ग्राम राजीपुरा बसीठ थी। दिनांक 19.12.2020 (सही तिथि 19.12.2021) को सूचना मिली थी कि भांजी अंजली की मृत्यु हो गयी है। इस सूचना पर मैं भी उसकी ससुराल राजीपुरा बसीठ पहुंच गया था। मेरे सामने ही नायब तहसीलदार व पुलिस ने अंजली की लाश का पंचायतनामा भरा था और मुझे भी पंचान नियुक्त कर मेरे हस्ताक्षर बनवाये थे और लाश को सील मोहर कर पुलिस पोस्टमार्टम के लिए उरई ले गयी थी। यही बात मैने सी0ओ0 साहब को अपने बयानों में बता दी थी। साक्षी ने पत्रावली में संलग्न कागज सं0 12क/1 लगायत 12क/2 पंचायतनामा पर अपने हस्ताक्षर की पुष्टि की है।

अभियोजन की ओर से पी0डब्लू04 रामकुमार को परीक्षित कराया गया है, जिसने अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ बयान दिया है कि मृतका अंजली मेरे साले पवन कुमार की पुत्री थी, जिसकी शादी हाजिर अदालत अभियुक्त अर्पण के साथ की थी। दिनांक 19.12.2021 को सूचना मिली कि अंजली फांसी लगाकर मर गयी। इस सूचना पर मैं भी उसकी ससुराल ग्राम राजीपुरा बसीठ पहुंचा था। वहां मेरे सामने पुलिस व नायब तहसीलदार ने मृतका अंजली का पंचायतनामा भरा था एवं उस पर मेरे भी हस्ताक्षर बनवाये थे एवं मौके से ही साड़ी के दो टुकड़े छींटदार जिससे मृतका ने फांसी लगायी थी। पुलिस ने कब्जे में लिये थे एवं मृतका अंजली का की–पैड मोबाइल कब्जे में लेकर उसकी फर्द बनाई थी एवं उस पर मेरे भी हस्ताक्षर बनवाये थे। साक्षी ने पत्रावली में संलग्न कागज संख्या 12क/1 लगायत 12क/2 पंचायतनामा एवं कागज संख्या 5क फर्द पर अपने हस्ताक्षर की पुष्टि की है।

अभियोजन की ओर से पी0डब्लू05 राजेन्द्र सिंह को परीक्षित कराया गया है, जिसने अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ बयान दिया है कि दिनांक 19.12.2021 को मै थाना नदीगॉव में हेड मुहर्रिर के पद पर तैनात था। उस दिन मेरी सी0सी0टी0एन0एस0 ऑपरेटर जसवेन्द्र के साथ कार्यलेख पर ड्यूटी लगी हुई थी। उसी दिन समय लगभग 21:43 बजे वादी मुकदमा पवन कुमार हमराहीगण रामसिंह, सुरेन्द्र राजपूत व अन्य लोगों के साथ एक हिन्दी हस्तलिखित प्रार्थना पत्र खुद के दस्तखती किये हुए बावत अपनी पुत्री अंजली को उसके ससुरालीजन रमेशचन्द्र आदि द्वारा अतिरिक्त दहेज की मांग पूरी न होने के कारण हत्या करने के संबंध में

दिया था। प्रार्थना पत्र के आधार पर मैने जसवेन्द्र सिंह को बोल–बोलकर कम्प्यूटर द्वारा अपराध संख्या 88/2021 धारा 498ए, 304बी, भा0दं0सं0 व 3/24 दहेज प्रतिषेध अधिनियम बनाम रमेशचन्द्र आदि नौ नफर के विरूद्ध एफ0आई0आर0 पंजीकृत करायी थी। इस अपराध का खुलासा जी0डी0 नं0 35 समय 21:43 बजे दिनांकित 19.12.2021 में किया था। उक्त अपराध की सूचना जरिये आर0टी0सैट उच्च अफसरान कोदी गयी थी। क्षेत्र में पहले से ही रवाना एस0आई0 दामोदर सिंह को भी घटना स्थल पर पहुंचने के लिए सूचना दी थी व एस0आई0 धर्मेन्द्र कुमार, एस0आई0 जितेन्द्र सिंह चन्देल, महिला कां0 कविता व अन्य हमराहीगण के साथ पंचायतनामा व दीगर कागजात लेकर घटना स्थल के लिए रवाना किया था। चूँकि मृतका की शादी सात वर्ष से कम होने के कारण उपजिलाधिकारी महोदय को भी पंचायतनामा के लिए अवगत कराया था एवं वादी को एफ0आई0आर0 की एक कॉपी देकर थाने से रूखसत किया था। साक्षी ने पत्रावली में संलग्न कागज संख्या 4क/1 लगायत 4क/4 एफ0आई0आर0 व कागज संख्या 6क1 जी0डी0 नं0 35 समय 21:43 बजे दिनांकित 19.12.2021 को देखकर अपने द्वारा टाइप कराये जाने की पुष्टि की, जिन पर क्रमशः प्रदर्श क–2 व प्रदर्श क–3 डाला गया।

अभियोजन की ओर से पी0डब्लू06 नायब तहसीलदार विदित कुमार को परीक्षित कराया गया है, जिसने अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ बयान दिया है कि दिनांक 19.12.2021 को मैं तहसील कोंच में कार्यरत था। उसी दिन जरिये मोबाइल एस0डी0एम0 महोदय द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि राजीपुरा में मृतका अंजली की मृत्यु हो गयी है, जिसका पंचायतनामा भरने जाना है। सूचना मिलने पर मैं घटनास्थल राजीपुरा पहुंचा तो वहां पहले से एस0आई दामोदर अपने हमराहीगण के साथ पंचायतनामा दीगर कागजात सहित उपस्थित मिले। मौके पर मौजूद पंचों को नियुक्त कर महिला कांस्टेबिल कविता से मृतका के शरीर का निरीक्षण करवाया एवं पंचों की राय अंकित कराकर उनके हस्ताक्षर बनवाये थे एवं स्वयं की राय अंकित कर हस्ताक्षर बनाये थे। मौके पर ही आर0आई चिट्ठी, सी0एम0ओ0 चिट्ठी, फोटोनाश, चालाननाश तैयार करवाकर अपने हस्ताक्षर बनाये थे एवं शव को सर्व सील मुहर कर पुलिस प्रपत्रों सहित कांस्टेबिल महेन्द्र व महिला कां0 कबिता के सुपुर्द कर पोस्टमार्टम के लिए भेजा था। पत्रावली में संलग्न कागज सं0 12क/1 लगायत 12क/2 पंचायतनामा को देखकर साक्षी ने उस पर बने अपने हस्ताक्षरों की पुष्टि की, जिस प्रदर्श क–4 डाला गया एवं पत्रावली में संलग्न कागज सं0 8क/6 आर0आई0 चिट्ठी, 8क/7 सी0एम0ओ0 चिट्ठी, कागज सं0 9क फोटोनाश व कागज सं0 10क/1 लगायत 10क/2 चालाननाश को देखकर साक्षी ने उस पर बने अपने हस्ताक्षर की पुष्टि की

जिन पर क्रमशः प्रदर्श क–5, प्रदर्श क–6, प्रदर्श क–7 व प्रदर्श क–8 डाला गया। साक्षी ने आगे यह भी बयान दिया है कि घटना स्थल से साड़ी के दो टुकड़े जिससे फांसी लगायी थी एवं मृतका का की–पेड मोबाइल कब्जे में लेकर सर्व सील मुहर कराकर एस0आई0 दामोदर से फर्द बनवायी थी, जिस पर अपने हस्ताक्षर बनाये थे। पत्रावली में संलग्न कागज सं0 5क/2 फर्द देखकर साक्षी ने उस पर बने अपने हस्ताक्षर की पुष्टि की है, जिस पर प्रदर्श क–9 डाला गया।

अभियोजन की ओर से पी0डब्लू07 डा0 भानु प्रताप सिंह को परीक्षित कराया गया है, जिसने अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ बयान दिया है कि दिनांक 20.12.2021 को मेरी पोस्टमार्टम डियूटी लगी थी और मेरे साथ डाक्टर कौशल किशोर की भी डियूटी थी। उसी दिन पोस्टमार्टम हाउस पर मृतका अंजली उम्र 22 वर्ष पुत्री पवन कुमार के शव को सर्व सील मोहर पुलिस प्रपत्रों सहित कां0 महेन्द्र कुमार व कां0 कमला गौड व महिला कां0 कविता लेकर आये। शव की शिनाख्त सम्बन्धित कां0 ने की थी। मृतका की लम्बाई 155 सेमी0 शरीर सामान्य कद काठी का था। मृत्यु पश्चात शरीर पर अकड़न मौजूद थी। आंखे और मुंह बन्द था। मुंह के दाहिने तरफ स्टैन(लार) लगी हुई थी।

<u>वाह्य परीक्षणः–</u>

गर्दन पर लिगेचर मार्क था, जिसकी लम्बाई 30 सेमी0 थी, जिसमें 5 सेमी0 का गैप गर्दन के दाहिनी तरफ पीछे एवं बगल की तरफ था। लिगेचर की मार्क की चौड़ाई 2 सेमी थी। लिगेचर मार्क के नीचे की स्किन पतली एवं पर्चामेन्ट की तरफ थी। लिगेचर मार्क ठोड़ी से 5 सेमी0 नीचे था, 3 सेमी दाहिने कान से नीचे व 4 सेमी0 बांये कान से नीचे था तथा 1.2X1.2 सेमी0 रगड़ का निशान दाहिने पैर की ऐड़ी में पीछे की तरफ था और इसके अलावा मृतका के शरीर पर कोई जाहिरा चोट नहीं थी।

<u>आन्तरिक परीक्षणः–</u>

ब्रेन सामान्य था। दांत 16/16 थे। लैरिन्स कन्जेटिड, हायड बॉन इन्टैक्ट थी। दोनों चैम्बर भरे हुए थे। आमाशय में लगभग 250 एम0एल0 अधपचा खाना मौजूद था। छोटी आंत में अधपचा खाना व गैसें थी। बड़ी आंत में मल एवं गैसें थी। गॉलब्लेडर आधा भरा हुआ था। गर्भाशय खाली था।

साक्षी ने आगे यह भी बयान दिया है कि मेरी राय में मृतका की मृत्यु का समय पोस्टमार्टम करने से लगभग एक दिन पूर्व का था। मृत्यु का कारण मृत्यु पूर्व हैगिंग के कारण श्वांसनली रूकना एवं सदमा से हुई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट मैनें अपने लेख व हस्ताक्षर में तैयार की थी, जिस पर सहयोगी डाक्टर कौशल किशोर ने भी अपने हस्ताक्षर बनाये थे। पत्रावली में संलग्न कागज सं0 11क/9 लगायत 11क/15

पोस्टमार्टम रिपोर्ट देखकर साक्षी ने उस पर बने अपने हस्ताक्षर की पुष्टि की, जिस पर प्रदर्श क–10 डाला गया।

अभियोजन की ओर से पी0डब्लू0–8 शाहिदा नसरीन तत्कालीन क्षेत्राधिकारी को परीक्षित कराया गया है, जिन्होंने अपनी मुख्य परीक्षा में सशपक्ष साक्ष्य दिया कि दिनांक 20.12.2021 को मैं क्षेत्राधिकारी कोंच के पद पर कार्यरत थी। उस दिन मैनें अपराध संख्या 88/2021 धारा 498ए,304बी, भा0द0सं0 व 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम थाना नदीगांव की विवेचना ग्रहण की थी। पर्चा नं0 1 दिनांकित 20.12.021 में नकल प्रथम सूचना रिपोर्ट, नकल कायमी जी0डी0 बयान हेड मोहर्रिर राजेन्द्र सिंह व सी0सी0टी0एन0एस0 ऑपरेटर जसवेन्द्र के बयान लिये थे एवं थाने पर मौजूद वादी मुकदमा पवन कुमार के बयान अंकित किये थे। वादी मुकदमा व पुलिस बल को साथ लेकर घटना स्थल का निरीक्षण करने हेतु ग्राम राजीपुरा (वसीठ) गयी थी, जहां नायब तहसीलदार विदित कुमार द्वारा मौके से लिए गए सामान की फर्द बनायी थी, जिसे सी0डी0 संलग्न किया था एवं वादी की निशादेही पर घटना स्थल का निरीक्षण कर नक्शा नजरी तैयार किया था। पत्रावली में संलग्न कागज सं0 7क नक्शा नजरी देखकर साक्षी ने उस पर बने अपने हस्ताक्षर की पुष्टि की, जिस पर प्रदर्श क–11 डाला गया एवं अभियुक्तगण की गिरफ्तारी हेतु प्रभारी निरीक्षक को निर्देशित किया था। पर्चा नं0 2 दिनांक 21.12.2021 को मृतका श्रीमती अंजली की पोस्टमार्टम रिपोर्ट की कार्बन प्रति का अवलोकन कर सी0डी0 संलग्न किया था। उसी दिन सूचना मिली कि प्रभारी निरीक्षक द्वारा उक्त केस के अभियुक्त रमेशचन्द्र कुशवाहा, श्रीमती यशोदा, श्रीमती दीपिका, श्रीमती पूनम को गिरफ्तार कर थाना लाया गया। सूचना मिलने पर मैनें थाना जाकर उपरोक्त अभियुक्तगण के बयान अंकित किये थे एवं अभियुक्तगण को रिमाण्ड हेतु न्यायालय में प्रेषित किया था। पर्चा नं0 3 दिनांक 26.12.2021 में मृतका की पोस्टमार्टम रिपोर्ट व पंचायतनामा की मूल प्रति प्राप्त हुई थी, जिसका अवलोकन कर सी0डी0 संलग्न किया था। पर्चा नं0 4 दिनांक 31.12.2021 को मृतका की मां श्रीमती संगीता का बयान अंकित किया था। मां के द्वारा मृतका अंजली का शादी का कार्ड दिया था, जिसे सी0डी0 संलग्न किया था। पर्चा नं0 6 दिनांक 09.01.2022 में कां0 कमल गौड व कां0 महेन्द्र कुमार के बयान अंकित किये थे। पर्चा नं0 8 दिनांक 16.01.2022 को सूचना मिली कि नदीगांव पुलिस द्वारा अभियुक्त अर्पण को गिरफ्तार का थाना लाया गया है। सूचना के उपरांत थाना नदीगांव जाकर अभियुक्त अर्पण उर्फ शीतल से पूछताछ कर बयान अंकित किये थे एवं रिमाण्ड हेतु न्यायालय में पेश किया था। पर्चा नं0 9 दिनांक 21.01.2022 को नायब तहसीलदार विदित कुमार, महिला कां0 कविता गौतम के बयान अंकित किये थे एवं शेष अभियुक्तगण की गिरफ्तारी हेतु दबिश

दी गयी थी, घर पर मौजूद नहीं मिले थे। पर्चा नं0 10 दिनांक 27.01.2022 को डा0 वी0पी0 सिंह व डा0 कौशल किशोर के बयान अंकित किये थे। पर्चा नं0 12 दिनांक 05.02.2022 में आरोपी पंकज मित्तल की सी0डी0आर0 प्राप्त करने हेतु रिपोर्ट प्रेषित की थी। पर्चा नं0 15 दिनांक 24.02.2022 को आरोपी पंकज की सी0डी0आर0 रिपोर्ट प्राप्त हुई थी, जिसका अवलोकन कर सी0डी0 संलग्न किया था, जिसकी लोकेशन घटना के समय झांसी पायी गयी थी। उसी दिन पंचान गवाह भारत सिंह व स्वतंत्र साक्षी लखन कुशवाहा, घनाराम कुशवाहा, जगदीश, रामजीवन कुशवाहा से पूछताछ कर बयान अंकित किये थे। पर्चा नं0 17 दिनांक 08.03.2022 को पंचान गवाह रामकुमार, सुहागसिंह, रामसिंह एवं स्वतंत्र साक्षी श्रीमती चांदनी देवी के बयान अंकित किये थे। पर्चा नं0 18 दिनांक 09.03.2022 को स्वतंत्र साक्षी शिवकुमार, हरीसिंह, नारायण दास के बयान अंकित किये थे तथा विवेचना में अभियुक्त पंकज मित्तल व श्रीमती आदेश की घटना में संलिप्पता नहीं पायी गयी थी, जिनकी नामजदगी गलत करते हुए डा0 पंकज मित्तल व श्रीमती आदेश के बयान अंकित किये थे तथा साक्ष्य संकलन के आधार पर अभियुक्तगण रमेशचन्द्र, श्रीमती यशोदा देवी, श्रीमती दीपिका, श्रीमती पूनम व अर्पण उर्फ शीतल के विरूद्ध पर्याप्त साक्ष्य होने पर धारा 498ए, 304बी, भा0द0सं0 व 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम में आरोप पत्र लगाकर न्यायालय में प्रेषित किया था एवं शेष अभियुक्तगण के विरूद्ध विवेचना जारी रखी थी। पत्रावली में संलग्न कागज सं0 3क/1 लगायत 3क/12 आरोप पत्र को देखकर साक्षी ने उस पर बने अपने हस्ताक्षर की पुष्टि की, जिस पर प्रदर्श क–12 डाला गया एवं अभियुक्तगण निर्मल व अरूण के खिलाफ विवेचना जारी थी। पर्चा नं0 19 दिनांक 14.03.2022 को नदीगांव पुलिस द्वारा उक्त केस के अभियुक्तगण निर्मल उर्फ अनमोल व अरूण उर्फ कमल को गिरफ्तार कर थाना लाया गया था। सूचना मिलने पर थाना नदीगांव जाकर अभियुक्त निर्मल उर्फ अनमोल व अरूण उर्फ कमल के बयान अंकित कर रिमाण्ड हेतु न्यायालय में पेश किया था। पर्चा नं0 21 दिनांक 16.03.2022 में आयी साक्ष्य संकलन के आधार पर अभियुक्तगण निर्मल उर्फ अनमोल व अरूण उर्फ कमल के विरूद्ध पर्याप्त साक्ष्य होने पर धारा 498ए, 304बी, भा0द0सं0 व 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम में आरोप पत्र लगाकर न्यायालय में प्रेषित किया था। इस केस से सम्बन्धित एस0टी0 नं0 110/2022 सरकार बनाम निर्मल उर्फ अनमोल आदि की पत्रावली में संलग्न कागज सं0 3क/1 लगायत 3क/15 आरोप पत्र को देखकर साक्षी ने उस पर बने अपने हस्ताक्षर की पुष्टि की, जिस पर प्रदर्श क–13 डाला गया।

इस प्रकार उपरोक्त साक्षीगण ने अपनी–अपनी मुख्य परीक्षा में

उपरोक्तानुसार साक्ष्य दी है, इन साक्षीगण की प्रतिपरीक्षा में आये सुसंगत तथ्यों का उल्लेख निर्णय में आगे साक्ष्य की विवेचना के दौरान यथास्थान किया जाएगा।

11. अभियोजन साक्ष्य समाप्त होने पर अभियुक्तगण रमेशचन्द्र, अनमोल उर्फ निर्मल, श्रीमती यशोदा देवी, श्रीमती दीपिका, श्रीमती पूनम व अरूण का बयान अंतर्गत धारा 313 दं0प्र0सं0 दर्ज करा गया, जिसमें अभियुक्तगण द्वारा अभियोजन कथानक को गलत होना, औपचारिक साक्षियों द्वारा गलत बयान दिया जाना, मुकदमा गलत चलना तथा सफाई साक्ष्य देने का कथन करते हुए अभियुक्त रमेशचन्द्र ने कथन किया है कि मै निर्दोष हूँ, अंजली अपने पति के साथ अलग रहती थी। अभियुक्त अनमोल उर्फ निर्मल ने कथन किया है कि मैं निर्दोष हूं, अंजली अपने पति के साथ अलग रहती थी, मैं अलग रहता हूँ। अभियुक्ता श्रीमती यशोदा ने कथन किया है कि मैं निर्दोष हूँ। अभियुक्ता श्रीमती दीपिका ने कथन किया है कि मैं निर्दोष हूं। घटना के समय अंजली पति के साथ घर पर अलग रहती थी। अभियुक्ता श्रीमती पूनम ने कथन किया है कि मैं निर्दोष हूं। अभियुक्त अरूण मित्तल ने कथन किया है कि मैं निर्दोष हूं, अंजली अपने पति के साथ अलग रहती थी तथा अभियुक्त अर्पण उर्फ शीतल ने कथन किया है कि मैं निर्दोष हूँ। मै घटना के समय कानपुर में था, वहीं रहकर पढ़ाई कर रहा था। अंजली ने मोहल्ले की कुछ औरतों से झगड़ा होने की वजह से आत्महत्या कर ली थी। घटना के समय वह घर पर अकेली थी।

अभियुक्तगण को सफाई साक्ष्य प्रस्तुत किये जाने हेतु पर्याप्त अवसर दिया गया, किन्तु अभियुक्तगण की ओर से सफाई साक्ष्य में कोई मौखिक या अभिलेखीय साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गयी।

12. मेरे द्वारा राज्य की तरफ से विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) तथा बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता के तर्को को सुना गया तथा उनके द्वारा दिये गये तर्को के प्रकाश में पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का परिशीलन करा गया।

13. अभियोजन की तरफ से यह तर्क दिया गया है कि पवन कुमार की पुत्री अंजली का अभियुक्त अर्पण के साथ दिनांक 22.04.2021 को सम्पन्न हुआ था। शादी में पवन कुमार ने अपनी हैसियत से बढ़कर दस लाख रूपये खर्च किये थे, लेकिन दिये गये दहेज से अंजली के ससुरालीजन खुश नहीं थे और उनके द्वारा एक चार पहिया गाड़ी की मांग करी जा रही थी, जिसको पूरा न किये जाने पर ससुरालीजन के द्वारा अंजली (पीड़िता) को प्रताड़ित किया जाता था और दिनांक 19.12.2021 को पीड़िता की दहेज हत्या अभियुक्तगण रमेशचन्द्र, श्रीमती यशोदा देवी, श्रीमती दीपिका, श्रीमती पूनम, अर्पण उर्फ शीतल, निर्मल उर्फ अनमोल एवं अरूण उर्फ कमल द्वारा कर दी गयी और अन्त में यह तर्क दिया गया है कि अभियोजन पक्ष की

तरफ से पवन कुमार, संगीता देवी, सुहाग सिंह, रामकुमार को पेश करा गया है और अभियुक्तगण को दोषसिद्ध करने का तर्क दिया गया है।

14. बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता के द्वारा यह तर्क दिया गया है कि अभियुक्तगण के विरूद्ध पवन कुमार के द्वारा झूंठी रिपोर्ट दर्ज करवा दी गयी थी, जोकि उसके रिस्तेदार के द्वारा लिखी गयी थी और रिपोर्ट को पवन कुमार के द्वारा पढ़ा भी नहीं गया था और यह भी तर्क दिया गया है कि अभियोजन के द्वारा पेश करे गये साक्षी पवन कुमार, संगीता देवी, सुहाग सिंह तथा रामकुमार पक्षद्रोही साक्षी हैं और अभियोजन के द्वारा अभियुक्तगण के विरूद्ध दहेज की मांग के तथ्य को साबित नहीं नहीं करा जा सका है और अभियुक्तगण को दोषमुक्त किये जाने का तर्क दिया गया है।

15. अभियुक्तगण रमेशचन्द्र, श्रीमती यशोदा देवी, श्रीमती दीपिका, श्रीमती पूनम, अर्पण उर्फ शीतल, निर्मल उर्फ अनमोल एवं अरूण उर्फ कमल का विचारण न्यायालय के द्वारा धारा 498ए, 304बी, भा0दं0सं0 1860 तथा धारा 4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 के अन्तर्गत किया जा रहा है। अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा 302 सपठित धारा 149 के अन्तर्गत वैकल्पिक आरोप को भी विरचित किया गया है।

अभियोजन कथानक यह है कि वादी पवन कुमार की पुत्री अंजली (पीड़िता) का विवाह दिनांक 22.04.2021 को अभियुक्त अर्पण के साथ हुआ था। विवाह में दिये गये दान दहेज से अर्पण तथा उसके परिवारीजन खुश नहीं थे, उनके द्वारा अतिरिक्त दहेज में अंजली (पीड़िता) से चार पहिया गाड़ी की मांग करी जाती थी, जिसे दिये जाने में पवन कुमार असमर्थ था, जिसकी वजह से अंजली (पीड़िता) को मानसिक व शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा था और दिनांक 19.12.2021 को अंजली (पीड़िता) की अभियुक्तगण के द्वारा दहेज हत्या कर दी गयी।

लिखित तहरीर प्रदर्श क–1 के अनुसार अभियोजन कथानक निम्नवत् हैः–

''प्रार्थी ने अपनी पुत्री श्रीमती अंजली का विवाह अर्पण पुत्र रमेशचन्द्र कुशवाहा निवासी ग्राम राजीपुरा (बसीठ) थाना नदीगॉव, जिला जालौन के साथ दिनांक 22.04.2021 को सम्पन्न किया था। शादी के समय प्रार्थी ने अपनी हैसियत से ज्यादा करीब दस लाख रूपये खर्च किये थे, किन्तु श्रीमती अंजली के ससुराल वाले इतने से संतुष्ट नहीं रहे और दूसरी विदा में जब श्रीमती अंजली ससुराल गई तो ससुर रमेशचन्द्र पुत्र कढोरेलाल व सास श्रीमती यशोदा देवी पत्नी रमेशचन्द्र तथा पति अर्पण, जेठ निर्मल व अरूण पुत्रगण रमेशचन्द्र तथा जिठानी श्रीमती पूनम पत्नी अरूण, श्रीमती दीपिका पत्नी निर्मल निवासीगण ग्राम राजीपुरा (बसीठ) थाना नदीगॉव, जिला जालौन

ने श्रीमती अंजली को प्रताड़ित करना शुरू कर दिया और घर गृहस्थी की छोटी–छोटी बातों पर ससुराल वाले अंजली को एकराय होकर मारपीट करने लगे। अंजली से घर गृहस्थी का सारा काम करवाने लगे और उसे भूख लगने पर समय से खाना नहीं देते थे, जिससे वह बीमार रहने लगी थी, फिर ससुराल वाले उसका इलाज नहीं कराते थे और ससुराल वाले अतिरिक्त दहेज के रूप में चार पहिया वाहन की मांग करते थे, जिसकी सूचना श्रीमती अंजली ने अपने मोबाइल से प्रार्थी तथा प्रार्थी के परिजनों को दी थी, तब प्रार्थी उसकी ससुराल गया और श्रीमती अंजली को अपने साथ अपने घर पिण्डारी, थाना एट लिवा ले गया था। दिनांक 17.12.2021 को समाज तथा विरादरी के संभ्रान्त लोगों के बीच में पड़ जाने से प्रार्थी ने श्रीमती अंजली को उसके पति अर्पण के साथ उसकी ससुराल राजीपुरा (बसीठ) भेज दिया था। दिनांक 19.12.2021 को समय करीब 12:00 बजे दिन राजीपुरा (बसीठ) के लोगों द्वारा दूरभाष से सूचना मिली कि श्रीमती अंजली के ससुराल वालों ने उसकी हत्या कर दी है। रिपोर्ट को आया हूँ, प्रार्थी की रिपोर्ट लिखकर अंजली के दोषी ससुराल वालों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही करें।''

16. अभियुक्तगण के विरूद्ध लगाये गये आरोपों को साबित करने के लिए अभियोजन पक्ष के द्वारा तथ्य के चार साक्षी पेश करे गये है। पी0डब्लू0–1 पवन कुमार पीड़िता का पिता है तथा पी0डब्लू0–2 संगीता देवी पीड़िता की मॉ है। पी0डब्लू0 3 सुहाग सिंह पीड़िता के मामा तथा पंचायतनामा के साक्षी है तथा पी0डब्लू0–4 रामकुमार, वादी मुकदमा पवन कुमार का साला है। अभियुक्तगण के विरूद्ध लगाये गये आरोप को साबित करने के लिए अभियोजन को यह साबित करना होगा कि अभियुक्तगण के द्वारा पीड़िता से अतिरिक्त दहेज में चार पहिया गाड़ी की मांग करी जाती थी और इस मांग को पूरा करवाने के लिए अभियुक्तगण के द्वारा पीड़िता को शारीरिक एवं मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाता था और दिनांक 19.12.2021 को पीड़िता की मृत्यु अप्राकृतिक रूप से हुई है।

17. वादी पवन कुमार के द्वारा दिनांक 19.12.2021 को थाने पर लिखित तहरीर प्रदर्श क–1 देते हुए यह सूचना दी गयी थी कि अभियुक्तगण के द्वारा पीड़िता की दहेज हत्या कारित कर दी गयी है और पुलिस के द्वारा पुड़िता के शव का पंचायतनामा भरने के बाद उसके शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला चिकित्सालय भेजा गया था, जहॉ पर दिनांक 20.12.2021 को पीड़िता के शव का पोस्टमार्टम डाक्टर भानु प्रताप सिंह के द्वारा करा गया था। अभियोजन के द्वारा डॉ0 भानु प्रताप सिंह पी0डब्लू0–7 को न्यायालय के समक्ष पेश करा गया है, उनके द्वारा यह कथन करा गया है कि दिनांक 20.12.2021 को उनकी पोस्टमार्टम डियूटी लगी थी और उनके साथ डाक्टर कौशल किशोर की भी डियूटी थी। उसी दिन पोस्टमार्टम हाउस पर

मृतका अंजली उम्र 22 वर्ष पुत्री पवन कुमार के शव को पोस्टमार्टम के लिए लाया गया था। वाह्य परीक्षण में यह पाया गया था कि मृत्यु पश्चात शरीर पर अकड़न मौजूद थी। आंखे और मुंह बन्द था। मुंह के दाहिने तरफ स्टैन(लार) लगी हुई थी। इसके आगे वाह्य परीक्षण के संबंध में पी0डब्लू0–7 डॉ0 भानु प्रताप सिंह के द्वारा यह बयान दिया गया है कि गर्दन पर लिगेचर मार्क था, जिसकी लम्बाई 30 सेमी0 थी, जिसमें 5 सेमी0 का गैप गर्दन के दाहिनी तरफ पीछे एवं बगल की तरफ था। लिगेचर मार्क की चौड़ाई 2 सेमी थी। लिगेचर मार्क के नीचे की स्किन पतली एवं पर्चामेन्ट की तरफ थी। लिगेचर मार्क ठोड़ी से 5 सेमी0 नीचे था, 3 सेमी दाहिने कान से नीचे व 4 सेमी0 बांये कान से नीचे था तथा 1.2X1.2 सेमी0 रगड़ का निशान दाहिने पैर की ऐड़ी में पीछे की तरफ था और इसके अलावा मृतका के शरीर पर कोई जाहिरा चोट नहीं थी। आगे चिकित्सक के द्वारा यह बयान दिया गया है कि ''मेरी राय में मृतका की मृत्यु का समय पोस्टमार्टम करने से लगभग एक दिन पूर्व का था। मृत्यु का कारण मृत्यु पूर्व हैगिंग के कारण श्वांसनली रूकना एवं सदमा से हुई है।'' डॉ0 भानु प्रताप सिंह पी0उब्लू0–7 के द्वारा पोस्टमार्टम रिपोर्ट को प्रदर्श क–10 के रूप में साबित किया है और जिरह में यह बयान दिया है कि उसके द्वारा मृत्यु का जो सम्भावित समय बताया गया है, उसमें 6 घण्टे का अन्तर ऊपर नीचे हो सकता है और मृतका के शरीर पर मारपीट के कोई चिन्ह नहीं मिले थे।

पी0डब्लू0–7 डॉ0 भानु प्रताप सिंह के बयान से यह साबित हो रहा है कि मृतका की मृत्यु पोस्टमार्टम करने से लगभग एक दिन पूर्व हुई थी। मृतका के शव का पोस्टमार्टम दिनांक 20.12.2021 को 02:30 पी0एम0 पर समाप्त हुआ था तथा पीड़िता की मृत्यु, मृत्यु पूर्व हैंगिंग की वजह से श्वांस अवरूद्ध होने एवं सदमे से हुई थी। डॉ0 भानु प्रताप सिंह पी0डब्लू0–7 के द्वारा पीड़िता के मृत शव का पोस्टमार्टम करने के उपरान्त मृत्यु के संबंध में यह राय दी गयी है कि मृतका की मृत्यु मृत्यु पूर्व हैंगिंग की वजह से श्वांस अवरूद्ध होने व सदमे की वजह से मृत्यु हुई है। इस प्रकार डॉ0 भानु प्रताप सिंह पी0डब्लू0–7 के बयान से स्पष्ट हो रहा है कि मृतका की मृत्यु किसी प्राकृतिक कारण की वजह से नहीं, बल्कि अप्राकृतिक कारण की वजह से अस्वाभाविक मृत्यु है।

18. अभियेाजन पक्ष को आगे यह साबित करना है कि अभियुक्तगण के द्वारा मृतका से अतिरिक्त दहेज की मांग करी जाती थी और अतिरिक्त दहेज की मांग के लिए उसे प्रताड़ित किया जाता था। इस तथ्य को साबित करने के लिए अभियोजन पक्ष के द्वारा तथ्य के चार साक्षियों को पेश करा गया है। सर्वप्रथम उनके द्वारा पवन कुमार पी0डब्लू0–1 को पेश करा गया है। पवन कुमार मृतका के

पिता हैं, जिन्होंने न्यायालय के समक्ष यह बयान दिया है कि मृतका अंजली उसकी पुत्री थी, जिसकी शादी 22 अप्रैल सन 2021 को हाजिर अदालत अभियुक्त अर्पण के साथ की थी। शादी में उसने अपनी हैसियत अनुसार दस लाख रूपये खर्च किये थे। शादी के बाद उसकी पुत्री ने उसे कभी नहीं बताया कि उसके ससुराल वाले चार पहिया की गाड़ी की मांग करते है एवं इसके लिए उसकी मारपीट करते है। आगे उसने यह बयान दिया है कि दिनांक 19.12.2021 को दिन में 12 बजे पता चला कि अंजली ससुराल में मर गयी है। इस सूचना पर वह परिजन व रिश्तेदारों के साथ अंजली की ससुराल गया था, वहां उसे उसकी पुत्री मृत अवस्था में मिली थी। पी0डब्लू0–1 पवन कुमार के द्वारा थाने पर दिये गये प्रार्थना पत्र/तहरीर को प्रदर्श क–1 के रूप में साबित करा गया है और आगे उसने यह भी बयान दिया है कि तहसीलदार के द्वारा घटना स्थल से बरामद मृतका अंजली के मोबाइल, साड़ी के दो टुकड़े कब्जे में लेकर फर्द बनायी थी एवं उस पर उसके भी हस्ताक्षर करवाये गये थे और यह भी बयान दिया गया है कि हाजिर अदालत अभियुक्तगण ने उसकी पुत्री को फांसी लगाकर नहीं मारा है।

यह साक्षी अभियोजन का पक्षद्रोही साक्षी है। इस साक्षी से अभियोजन के द्वारा जिरह की गयी है। अभियोजन के द्वारा करी गयी जिरह में इस साक्षी ने पुलिस के समक्ष धारा 161 दं0प्र0सं0 के अन्तर्गत दिये गये बयान को विवेचक को दिये जाने से इनकार करा गया है। इस साक्षी से बचाव पक्ष के द्वारा जिरह करी गयी है, जिसने उसने यह बयान दिया है कि मुझसे या मेरी लड़की अंजली से किसी अभियुक्त ने कभी कोई दहेज की मांग नहीं की। मेरी लड़की अंजली को किसी मुल्जिम ने कभी भी किसी बात को लेकर उत्पीड़ित या प्रताड़ित नहीं किया। उसे कभी खाना, कपड़ा की कोई तकलीफ नहीं थी एवं न ही कभी उसकी मारपीट की गयी। तहरीर प्रदर्श क–1 मैने बोलकर नहीं लिखाई थी, रिस्तेदार उसको लिखाकर लाये थे। मैने बिना पढ़े उस पर हस्ताक्षर बना दिये थे। उसमें क्या लिखा है, आज मुझे ज्ञात हुआ है। मृतका की मृत्यु के संबंध में साक्षी ने यह बयान दिया है कि उसकी लड़की का स्वभाव कुछ तेज था। उसने यह बात अच्छी तरह से पता कर ली है कि उसकी पुत्री अंजली ने मोहल्ला पड़ोस की औरतों से विवाद हो जाने के कारण गुस्से में आकर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। साक्षी के द्वारा यह भी बयान दिया गया है कि घटना के समय उसकी पुत्री अंजली घर में अकेली थी। उसके सास, ससुर, जेठ व जिठानी अलग रहते थे।

अभियोजन के द्वारा पेश करे गये साक्षी पी0डब्लू0–1 पवन कुमार ने अभियुक्तगण के द्वारा अतिरिक्त दहेज की मांग किये जाने और अतिरिक्त दहेज की

मांग की वजह से प्रताड़ित किये जाने के तथ्य को पूरी तरह इनकार करा गया है और यह भी बयान दिया गया है कि उसकी पुत्री अंजली (पीड़िता) का स्वभाव कुछ तेज था और अंजली (पीड़िता) ने मोहल्ला–पड़ोस की औरतों से विवाद हो जाने के कारण गुस्से में आकर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी।

अभियोजन पक्ष की तरफ से संगीता देवी पी0डब्लू0–2 को पेश करा गया है। पी0डब्लू0–2 संगीता देवी पीड़िता की मॉ है और उनके द्वारा न्यायालय के समक्ष यह बयान दिया गया है कि मृतका अंजली उसकी पुत्री थी। अंजली का विवाह हाजिर अदालत अभियुक्त अर्पण के साथ आज से लगभग डेढ़ वर्ष पूर्व हुआ था। दिये गये दान–दहेज से पुत्री के ससुरालीजन पूर्णतः संतुष्ट थे। उसकी पुत्री ने उसे कभी नहीं बताया कि उसके ससुरालीजन उससे चार पहिया की गाड़ी की मांग करके उसे परेशान करते है एवं मारपीट करते है। हाजिर अदालत अभियुक्तगण के द्वारा उसकी पुत्री को फांसी लगाकर नहीं मारा गया था।

यह साक्षी अभियोजन की पक्षद्रोही साक्षी है। इस साक्षी से अभियोजन द्वारा जिरह करी गयी है। अभियोजन के द्वारा करी गयी जिरह में पी0डब्लू0–2 संगीता देवी के द्वारा धारा 161 दं0प्र0सं0 के तहत विवेचक को बयान दिये जाने से इनकार करा गया है। इस साक्षी से बचाव पक्ष द्वारा जिरह करी गयी। बचाव पक्ष द्वारा करी गयी जिरह में साक्षी ने मुख्य परीक्षा के तथ्यों की पुष्टि करी है और यह बयान दिया है कि उसकी पुत्री ने कभी नहीं बताया कि उसके ससुरालीजन उससे कभी दान दहेज मांगते है एवं उसे प्रताड़ित व परेशान करते हैं। उसकी पुत्री जब भी मायके आती थी तो बताती थी कि वह अपनी ससुराल में पूर्ण खुश व संतुष्ट है और पीड़िता की मृत्यु के संबंध में यह बयान दिया है कि उसकी पुत्री का मोहल्ले में कुछ औरतों से विवाद हो गया था। उसी कारण गुस्से में आकर उसने आत्महत्या कर ली थी। उसकी पुत्री तेज व गुस्सैल स्वभाव की थी। हाजिर अदालत अभियुक्तगण व शीतल का उसकी पुत्री के आत्महत्या करने में कोई दोष नहीं है।

अभियोजन पक्ष के द्वारा सुहाग सिंह पी0डब्लू0–3 को पेश करा गया है। पी0डब्लू0–3 सुहाग सिंह मृतका का मामा है, जिसके द्वारा यह बयान दिया गया मृतका अंजली उसकी भांजी थी, जिसकी ससुराल ग्राम राजीपुरा बसीठ थी। दिनांक 19.12.2020 (सही तिथि 19.12.2021) को सूचना मिली थी कि भांजी अंजली की मृत्यु हो गयी है। इस सूचना पर वह भी उसकी ससुराल राजीपुरा बसीठ पहुंच गया था। उसके सामने ही नायब तहसीलदार व पुलिस ने अंजली की लाश का पंचायतनामा भरा था और उसे भी पंचान नियुक्त कर उसके हस्ताक्षर बनवाये थे।

इस साक्षी ने अभियोजन कथानक का समर्थन किया है। इस साक्षी से बचाव पक्ष के द्वारा जिरह की गयी है। बचाव पक्ष के द्वारा करी गयी जिरह में साक्षी ने यह बयान दिया है कि किसी भी मुल्जिम ने मेरी भांजी अंजली (पीड़िता) या उसके मायके वालों से कभी कोई दहेज की मांग नहीं की और न ही उसे परेशान किया। पति के अलावा सभी मुल्जिम अलग रहते थे। मोहल्ले की औरतों से विवाद हो जाने के कारण मेरी भांजी ने आत्महत्या कर ली थी।

अभियोजन के द्वारा तथ्य के एक अन्य साक्षी रामकुमार पी0डब्लू0–4 को पेश करा गया है। इस साक्षी ने अभियोजन कथानक का समर्थन करते हुए यह बयान दिया है कि मृतका अंजली मेरे साले पवन कुमार की पुत्री थी, जिसकी शादी हाजिर अदालत अभियुक्त अर्पण के साथ की थी। दिनांक 19.12.2021 को सूचना मिली कि अंजली फांसी लगाकर मर गयी है। इस सूचना पर मैं भी उसकी ससुराल ग्राम राजीपुरा बसीठ पहुंचा था। वहां मेरे सामने पुलिस व नायब तहसीलदार ने मृतका अंजली का पंचायतनामा भरा था तथा उस पर मेरे भी हस्ताक्षर बनवाये थे। इस गवाह ने पुलिस के द्वारा मौके से मृतका अंजली का की–पैड मोबाइल कब्जे में लेकर तैयार करी गयी फर्द व पंचायतनामा पर अपने हस्ताक्षर की पुष्टि करी है।

आगे बचाव पक्ष के द्वारा जिरह किये जाने पर इस साक्षी ने बयान दिया है कि उसके साले की लड़की अंजली चिड़चिड़े स्वभाव की थी। पता चला कि घटना वाले दिन मोहल्ले की औरतों से अंजली का वाद विवाद हो गया था। इसी कारण उसने फांसी लगा ली। अंजली ने उसे कभी नहीं बताया कि उसके ससुरालीजन उसे प्रताड़ित करते है। आगे यह भी बयान दिया है कि अभियुक्तगण की अंजली की मृत्यु में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से कोई भूमिका नहीं है।

पी0डब्लू0–3 सुहाग सिंह मृतका का मामा है तथा पी0डब्लू0–4 राम कुमार वादी मुकदमा पवन कुमार का बहनोई अर्थात मृतका अंजली का फूफा है। दोनों ही साक्षियों ने अभियोजन कथानक का समर्थन करा है, परन्तु दोनों ही साक्षी दिनांक 19.12.2021 को मृतका अंजली की मृत्यु की सूचना मिलने पर उसकी ससुराल ग्राम राजीपुरा बसीठ पहंचते है। पी0डब्लू0–3 सुहाग सिंह ने पंचायतनामा में अपने दस्तखत किये थे तथा पी0डब्लू0–3 रामकुमार के द्वारा फर्द बरामदगी व पंचायतनामा में दस्तखत किये थे। दोनों ही साक्षियों के द्वारा अभियोजन कथानक का समर्थन करा गया है, लेकिन दोनों ही साक्षियों ने बचाव पक्ष के द्वारा करी गयी जिरह में कथन किया है कि पीड़िता से ससुरालीजन के द्वारा अतिरिक्त दहेज की मांग नहीं करी जाती थी और न ही अतिरिक्त दहेज की मांग के लिए उसे प्रताड़ित किया जाता था।

19. अभियोजन पक्ष के द्वारा राजेन्द्र सिंह पी0डब्लू0–5 को पेश करा गया है, जोकि दिनांक 19.12.2021 को थाना नदीगॉव में हेड मुहर्रिर के पद पर तैनात था और उसके द्वारा एफ0आई0आर0 को प्रदर्श क2 के रूप में तथा मुकदमा कायमी रोजनामचाआम संख्या 35 समय 21:43 बजे दिनांक 19.12.2021 को प्रदर्श क–3 के रूप में साबित करा गया है।

पी0डब्लू0–6 नायब तहसीलदार विदित कुमार के द्वारा इस केस में अपना बयान दिया गया है और उसके द्वारा पंचायतनामा को प्रदर्श क–4 के रूप में, आर0आई0 चिट्ठी को प्रदर्श क–5, सी0एमओ0 चिट्ठी को प्रदर्श क–6, फोटोनाश को प्रदर्श क–7 तथा चालाननाश को प्रदर्श–8 के रूप में साबित करा गया है और फर्द बरामदगी को प्रदर्श क–9 के रूप में साबित करा गया है।

पी0डब्लू0–8 शाहिदा नसरीन क्षेत्राधिकारी सहावर जनपद कासगंज के द्वारा इस मुकदमे की विवेचना करी गयी थी और उनके द्वारा न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर नक्शा नजरी को प्रदर्श क–11 के रूप में तथा अभियुक्त रमेशचन्द्र, श्रीमती यशोदा देवी, श्रीमती दीपिका, श्रीमती पूनम व अर्पण उर्फ शीतल के विरूद्ध प्रस्तुत आरोप पत्र को प्रदर्श क–12 तथा अभियुक्त निर्मल उर्फ अनमोल एवं अरूण उर्फ कमल के विरूद्ध प्रस्तुत आरोप पत्र को प्रदर्श क–13 के रूप में साबित करा गया है।

20. अभियुक्तगण का विचारण न्यायालय के द्वारा धारा 498ए, 304बी, भा0दं0सं0 व धारा 4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम के अन्तर्गत किया गया है। अभियुक्तगण के विरूद्ध उपरोक्त आरोप के अलावा वैकल्पिक आरोप अन्तर्गत धारा 302 सपठित धारा 149 भा0दं0सं0 के अन्तर्गत भी विचारण किया गया है।

अभियुक्तगण के ऊपर यह आरोप लगाया गया है कि उनके द्वारा पवन कुमार की पुत्री अंजली (पीड़िता) का विवाह अभियुक्त अर्पण के साथ करने के बाद से अभियुक्तगण अर्पण तथा उसके परिवारीजन दिये गये दान दहेज से संतुष्ट नहीं थे और उनके द्वारा अतिरिक्त दहेज में चार पहिया गाड़ी की मांग करी जाती थी, जिसकी वजह से उनके द्वारा पीड़िता की दहेज हत्या कर दी गयी।

अभियोजन के द्वारा इस तथ्य को साबित करने के लिए डॉ0 भानु प्रताप सिंह पी0डब्लू0–7 को पेश करा गया था, जिनके द्वारा मृतका के शव का पोस्टमार्टम दिनांक 20.12.2021 को किया गया था और उनके द्वारा मृत्यु का समय पोस्टमार्टम किये जाने से एक दिन पूर्व बताया गया है और मृत्यु का कारण यह बताया गया है कि मृतका की मृत्यु मृत्यु पूर्व हैंगिंग के कारण श्वांस अवरूद्ध व सदमा की वजह से हुई थी। निश्चित रूप से अभियोजन के इस साक्षी के बयान से यह स्पष्ट हो रहा है कि मृतका की मृत्यु अप्राकृतिक परिस्थितियों में हुई थी। अभियोजन के द्वारा पेश

करे गये तथ्य के महत्वपूर्ण साक्षी वादी मुकदमा पवन कुमार पी0डब्लू0–1 व संगीता देवी पी0डब्लू0–2 मृतका की मॉ को पेश करा गया है। यह दोनो ही साक्षी अभियोजन के पक्षद्रोही साक्षी है, जबकि यह अभियोजन के सबसे महत्वपूर्ण साक्षी है। इन दोनों ही साक्षियों ने अभियोजन कथानक का समर्थन नहीं करा है। अभियोजन के द्वारा दोनों ही साक्षियों को पेश करके दहेज की मांग के तथ्य को साबित कराने के उद्देश्य से पेश करा गया था, लेकिन पवन कुमार पी0डब्लू0–1 के द्वारा यह बयान दिया गया है कि शादी के बाद उसकी पुत्री ने उसे कभी नहीं बताया कि उसके ससुराल वाले चार पहिया की गाड़ी की मांग करते है एवं इसके लिए उसकी मारपीट करते हैं और जिरह में भी साक्षी ने यह बयान दिया है कि उससे या उसकी लड़की अंजली से किसी अभियुक्त ने कभी कोई दहेज की मांग नहीं की। उसकी लड़की अंजली को किसी मुल्जिम ने कभी भी किसी बात को लेकर उत्पीड़ित या प्रताड़ित नहीं किया। इसी प्रकार पी0डब्लू0–2 संगीता देवी के द्वारा भी यही बयान दिया गया है कि दिये गये दान दहेज से पुत्री के ससुरालीजन पूर्णतः संतुष्ट थे। उसकी पुत्री ने उसे कभी नहीं बताया कि उसके ससुरालीजन उससे चार पहिया की गाड़ी की मांग करके उसे परेशन करते है एवं मारपीट करते हैं। इस साक्षी ने जिरह में इस बात की पुष्टि करते हुए बयान दिया है कि उसकी पुत्री ने कभी नहीं बताया कि उसके ससुरालीजन उससे कभी दान दहेज मांगते है एवं उसे प्रताड़ित व परेशान करते है। दोनो ही साक्षीगण के द्वारा मृतका की मृत्यु के संबंध में यह बयान दिया गया है कि उसकी पुत्री तेज स्वभाव की थी तथा मोहल्ले की औरतों से विवाद हो गया था, उसी कारण गुस्से में आकर मृतका ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। अभियोजन पक्ष के द्वारा तथ्य के साक्षी के रूप में पेश करे गये साक्षी पी0डब्लू0–3 सुहाग सिंह व पी0डब्लू0–4 रामकुमार को भी पेश करा गया है, परन्तु इनके द्वारा दिये गये साक्ष्य से दहेज की मांग और दहेज की मांग के बिन्दु पर अभियोजन पक्ष को कोई बल नहीं मिलता है, क्योंकि दोनों ही साक्षियों को अभियोजन पक्ष के द्वारा फर्द बरामदगी व पंचायतनामा पर अपने हस्ताक्षर की पुष्टि के लिए पेश करा गया है। हालाकि दोनों ही साक्षी मृतका के रिस्तेदार हैं। पी0डब्लू0–3 सुहाग सिंह जोकि मृतका का मामा है, उसने यह बयान दिया है कि दिनांक 19.12.2021 को उसे यह सूचना मिली थी कि उसकी भांजी मर गयी है और इस सूचना पर वह उसकी ससुराल ग्राम राजीपुरा बसीठ पहुंचता है। इसने जिरह में यह बयान दिया है कि किसी भी मुल्जिम ने उसकी भांजी अंजली या उसके मायके वालों से कभी कोई दहेज की मांग नहीं की और न ही उसे परेशान किया। इसी प्रकार पी0डब्लू0–4 रामकुमार के द्वारा भी यही बयान दिया गया है कि दिनांक 19.12.2021 को सूचना मिली थी कि अंजली फांसी लगाकर मर गयी है और इस

सूचना को मिलने के बाद वह उसकी ससुराल ग्राम राजीपुरा बसीट पहुंच जाता है और फर्द बरामदगी मोबाइल तथा साड़ी के टुकड़े व पंचायतनामा में हस्ताक्षर की पुष्टि करता है। इस साक्षी से बचाव पक्ष के द्वारा जिरह की गयी है, जिसमें साक्षी ने कथन किया है कि अंजली ने उसे कभी नहीं बताया कि उसके ससुरालीजन उसे प्रताड़ित करते हैं और यह भी बयान दिया है कि उसके साले की लड़की अंजली चिड़चिड़े स्वभाव की थी और घटना वाले दिन मोहल्ले की औरतों से अंजली का वाद विवाद हो गया था, इसी कारण उसने फांसी लगा ली थी।

अभियोजन पक्ष के द्वारा पेश करे गये साक्षीगण पी0डब्लू0–1 पवन कुमार, पी0डब्लू0–2 संगीता देवी मृतका के माता पिता है और यह अभियोजन के पक्षद्रोही साक्षी है, जिनकी साक्ष्य से कोई तथ्य साबित नहीं होता है। इसी प्रकार अभियोजन के द्वारा पेश करे साक्षी पी0डब्लू0–3 सुहाग सिंह तथा पी0डब्लू0–4 राम कुमार के द्वारा पंचायतनामा पर अपने दस्तख्त की और फर्द पर अपने दस्तखत की पुष्टि करी है, लेकिन इसके द्वारा अभियोजन कथानक के इस तथ्य पर कोई साक्ष्य नहीं दी गयी है कि पीड़िता के ससुरालीजन अतिरिक्त दहेज में चार पहिया गाड़ी की मांग करते थे तथा उसके लिए मृतका को प्रताड़ित किया जाता था।

अभियुक्तगण के विरूद्ध वैकल्पिक आरोप धारा 302 सपठित धारा 149 भा0दं0सं0 1860 विरचित करा गया है। पी0डब्लू0–1 पवन कुमार के द्वारा यह बयान दिया गया है कि दिनांक 19.12.2021 को दिन में 12 बजे पता चला कि अंजली ससुराल में मर गयी है और इस सूचना पर वह उसकी ससुराल गया था। इसी प्रकार पी0डब्लू0–2 संगीता देवी के द्वारा मृतका की मृत्यु के संबंध में यह बयान दिया गया है कि उसकी लड़की तेज व गुस्सैल स्वभाव की थी और उसकी पुत्री अंजली का मोहल्ले की कुछ औरतों से विवाद हो गया था, इसी कारण गुस्से में आकर उसने आत्महत्या कर ली थी। पी0डब्लू0–2 मृतका की मॉ है। जैसा कि पी0डब्लू0–1 पवन कुमार बयान दे चुके है कि दिनांक 19.12.2021 को सूचना मिलने पर वह परिजन व रिस्तेदारों के साथ मृतका की ससुराल गये थे। इस साक्षी के द्वारा भी मृतका की मृत्यु के संबंध में जिरह में यह बयान दिया है कि उसकी पुत्री का मोहल्ला पड़ोस की औरतों से विवाद हो जाने के कारण गुस्से में आकर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। अभियोजन के द्वारा पी0डब्लू0–3 सुहाग सिंह को पेश करा गया है। पी0डब्लू0–3 सुहाग सिंह के द्वारा पंचायतनामा पर अपने दस्तखत की पुष्टि की और यह बयान दिया है कि दिनांक 19.12.2021 को सूचना मिली थी कि भांजी अंजली की मृत्यु हो गयी है। इस सूचना पर वह उसकी ससुराल ग्राम राजीपुरा बसीठ गया था। इसके बाद अभियोजन के द्वारा पी0डब्लू0–4 रामकुमार को पेश करा गया है। इस साक्षी के द्वारा यह बयान

दिया गया है कि दिनांक 19.12.2021 को सूचना मिली थी कि अंजली फांसी लगाकर मर गयी है, जिसके बाद वह उसकी ससुराल ग्राम बसीठ पहुंचा था और इस साक्षी ने फर्द बरामदगी तथा पंचायतनामा पर अपने हस्ताक्षर की पुष्टि करी है। प्रदर्श क–1 लिखित तहरीर में पवन कुमार के द्वारा यह लिखा गया था कि दिनांक 19.12.2021 को समय करीब 12 बजे दिन राजीपुरा बसीठ के लोगों द्वारा दूरभाष से सूचना मिली कि अंजली के ससुराल वालों ने उसकी हत्या कर दी है। अभियोजन के द्वारा पेश करे गये तथ्य के साक्षी पी0डब्लू–1 पवन कुमार, पी0डब्लू0–2 संगीता देवी, पी0डब्लू0–3 सुहाग सिंह तथा पी0डब्लू0–4 रामकुमार की साक्ष्य में आया है कि दिनांक 19.12.2021 को मृतका अंजली की मृत्यु की सूचना मिलने पर वह उसकी ससुराल ग्राम राजीपुरा बसीठ पहुंचते है। इस प्रकार कोई भी साक्षी मृतका की मृत्यु से पूर्व मृतका की ससुराल ग्राम राजीपुरा बसीठ में नहीं था और अभियोजन के द्वारा पेश करे गये चिकित्सक साक्षी पी0डब्लू0–7 भानु प्रताप के द्वारा यह बयान दिया गया है कि मृतका की मृत्यु का कारण हैंगिंग के कारण श्वांस अवरूद्ध था और चिकित्सक ने यह भी बयान दिया है कि मृतका के शरीर पर वाह्य चोटों में मारपीट का कोई चिन्ह नहीं था। मृतका की मृत्यु श्वांस अवरूद्ध होने की वजह से हुई है और अभियोजन के द्वारा पेश करे गये तथ्य के चारों साक्षी मृतका की मृत्यु की सूचना मिलने पर उसके गॉव बसीठ पहुंचते हैं और किसी भी साक्षी के द्वारा मृतका की मृत्यु से पूर्व गॉव राजीपुरा बसीठ में उपस्थित होने का बयान नहीं दिया है। ऐसी स्थिति में मृतका की मृत्यु के संबंध में कोई भी प्रत्यक्षदर्शी साक्ष्य नहीं है। ऐसी स्थिति में अभियुक्तगण के विरूद्ध लगया गया वैकल्पिक आरोप धारा 302 सपठित धारा 149 भा0दं0सं0 साबित कर पाने में अभियोजन पक्ष असफल रहा है।

उपरोक्त परिचर्चा से यह स्पष्ट हो रहा है कि पत्रावली पर अभियोजन के द्वारा पेश करे गये साक्ष्य, इस केस के तथ्य एवं परिस्थितियों से यह युक्ति–युक्त संदेह से परे साबित नहीं हो रहा है कि अभियुक्तगण रमेशचन्द्र, श्रीमती यशोदा देवी, श्रीमती दीपिका, श्रीमती पूनम, अर्पण उर्फ शीतल एवं निर्मल उर्फ अनमोल एवं अरूण उर्फ कमल के द्वारा पीड़िता से अतिरिक्त दहेज की मांग की वजह से दहेज हत्या कारित करी गयी है। अतः अभियोजन पक्ष अभियुक्तगण रमेशचन्द्र, श्रीमती यशोदा देवी, श्रीमती दीपिका, श्रीमती पूनम, अर्पण उर्फ शीतल एवं निर्मल उर्फ अनमोल एवं अरूण उर्फ कमल के विरूद्ध लगाये गये आरोप को युक्ति–युक्त संदेह से परे साबित करने में विफल रहा है। ऐसी स्थिति में अभियुक्तगण रमेशचन्द्र, श्रीमती यशोदा देवी, श्रीमती दीपिका, श्रीमती पूनम, अर्पण उर्फ शीतल एवं निर्मल उर्फ अनमोल एवं अरूण उर्फ कमल आरोप अन्तर्गत धारा 498ए, 304बी, भा0दं0सं0 1860 व धारा 4 दहेज प्रतिषेध

अधिनियम 1961 से तथा वैकल्पिक आरोप अन्तर्गत धारा 302 सपठित धारा 149 भा0दं0सं0 1860 से दोषमुक्त किये जाने योग्य हैं।

<u>आदेश</u>

सत्र परीक्षण संख्या 57/2022 सरकार प्रति रामचन्द्र आदि में अभियुक्त रमेशचन्द्र, श्रीमती यशोदा देवी, श्रीमती दीपिका, श्रीमती पूनम एवं अर्पण उर्फ शीतल को धारा 498ए, 304बी, भा0दं0सं0 1860 व धारा 4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 तथा वैकल्पिक आरोप अन्तर्गत धारा 302 सपठित धारा 149 भा0दं0सं0 1860 के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

सत्र परीक्षण संख्या 110/2022 सरकार प्रति निर्मल उर्फ अनमोल आदि में अभियुक्तगण निर्मल उर्फ अनमोल एवं अरूण उर्फ कमल को धारा 498ए, 304बी, भा0दं0सं0 1860 व धारा 4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 तथा वैकल्पिक आरोप अन्तर्गत धारा 302 सपठित धारा 149 भा0दं0सं0 1860 के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

अभियुक्तगण उपरोक्त प्रकरणों में जमानत पर हैं। उनके जमानतनामा एवं बन्धपत्र निरस्त किये जाते हैं तथा जामिन्दारों को जमानत के दायित्व से उन्मोचित किया जाता है।

इस निर्णय की एक प्रति सत्र परीक्षण संख्या 110/2022 सरकार प्रति निर्मल उर्फ अनमोल आदि की पत्रावली में रखी जाये।

दिनांक– 18.04.2026

(विरजेन्द्र कुमार सिंह)
सत्र न्यायाधीश,
जालौन स्थान उरई।
जे.ओ. कोड यू.पी.–6525

निर्णय आज मेरे द्वारा खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित, दिनांकित कर सुनाया गया।

दिनांक– 18.04.2026

(विरजेन्द्र कुमार सिंह)
सत्र न्यायाधीश,
जालौन स्थान उरई।
जे.ओ. कोड यू.पी.–6525

आशुलिपिक
पी.के.